विधायिका

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» विधायिका का महत्व और आवश्यकता

प्रश्न 1 (आसान). विधायिका का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर – कानून बनाना।

प्रश्न 2 (आसान). विधायिका लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है?
उत्तर – यह प्रतिनिधित्व और जवाबदेही का केंद्र है।

प्रश्न 3 (मध्यम). विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से समझाएं।
उत्तर – उदाहरण के लिए, विधायिका में सांसद सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, नीतियों पर बहस कर सकते हैं और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, जो कानून बनाने से अलग कार्य हैं।

प्रश्न 4 (कठिन). सच्चे लोकतंत्र की कल्पना एक कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना क्यों नहीं की जा सकती?
उत्तर – एक कुशल और प्रभावी विधायिका ही जनता की सही आवाज को उठा सकती है, सरकार पर उचित नियंत्रण रख सकती है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बना सकती है। इसके बिना सरकार मनमानी कर सकती है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा।

» संसद की द्वि-सदनात्मक संरचना

प्रश्न 5 (आसान). संसद के कितने सदन होते हैं?
उत्तर – दो

प्रश्न 6 (आसान). संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं?
उत्तर – लोक सभा और राज्य सभा

प्रश्न 7 (मध्यम). भारतीय संसद की द्वि-सदनात्मक संरचना के दो मुख्य फायदे बताओ।
उत्तर – विविधताओं को प्रतिनिधित्व और कानूनों पर पुनर्विचार का मौका।

प्रश्न 8 (कठिन). क्या सभी देशों में द्वि-सदनात्मक विधायिका होती है? अपने जवाब के समर्थन में तर्क दें।
उत्तर – नहीं, सभी देशों में नहीं होती। बड़े और विविधताओं वाले देश अक्सर इसे चुनते हैं ताकि सभी क्षेत्रों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और कोई भी कानून जल्दबाजी में न बने। छोटे देश या कम विविधता वाले देश एक सदनात्मक विधायिका भी अपना सकते हैं।

» राज्य सभा: संरचना और कार्य

प्रश्न 9 (आसान). राज्य सभा को किस सदन के रूप में जाना जाता है?
उत्तर – राज्यों का सदन

प्रश्न 10 (आसान). राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
उत्तर – 6 वर्ष

प्रश्न 11 (मध्यम). राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं?
उत्तर – राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य (विधायक)

प्रश्न 12 (कठिन). राज्य सभा को 'स्थायी सदन' क्यों कहा जाता है?
उत्तर – क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं.

» लोक सभा: संरचना और कार्य

प्रश्न 13 (आसान). लोक सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष?
उत्तर – प्रत्यक्ष

प्रश्न 14 (आसान). लोक सभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं?
उत्तर – 5 वर्ष

प्रश्न 15 (मध्यम). क्या लोक सभा को 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में?
उत्तर – हाँ, यदि कोई दल या गठबंधन सरकार न बना सके, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें तो लोक सभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है.

प्रश्न 16 (कठिन). 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' से आप क्या समझते हैं और यह लोक सभा के गठन में कैसे भूमिका निभाता है?
उत्तर – 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है और उनके हर वोट का मूल्य बराबर होता है. यह लोक सभा के गठन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि को सीधे चुनने का अधिकार मिले, जिससे लोक सभा जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है.

» संसद के मुख्य कार्य और शक्तियाँ

प्रश्न 17 (आसान). संसद का सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य क्या है?
उत्तर – देश के लिए कानून बनाना।

प्रश्न 18 (आसान). सरकार को कोई नया कर लगाने के लिए किसकी स्वीकृति चाहिए होती है?
उत्तर – संसद की स्वीकृति।

प्रश्न 19 (मध्यम). संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है?
उत्तर – प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखकर और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करके।

प्रश्न 20 (कठिन). संसद को 'बहस का सर्वोच्च मंच' क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें।
उत्तर – संसद 'देश में वाद-विवाद का सर्वोच्च मंच है' (supreme forum for debate in the country)। यहाँ 'विचार-विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है' (its power to deliberate is unconstrained)। सदस्यों को 'किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है' (freedom to speak fearlessly on any subject)। इससे संसद 'राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है' (can analyze any and every issue facing the nation)। यह 'विचार-वमिर्श हमारी लोकतांत्रकि नर्णिय प्रक्रयाि की आत्मा है' (this deliberation is the soul of our democratic decision-making process)।

» लोक सभा और राज्य सभा की शक्तियों में अंतर

प्रश्न 21 (आसान). कौन-सा विधेयक सिर्फ लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है?
उत्तर – धन विधेयक (Money Bill)

प्रश्न 22 (आसान). मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है?
उत्तर – लोक सभा (Lok Sabha)

प्रश्न 23 (मध्यम). राज्य सभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है?
उत्तर – 14 दिन

प्रश्न 24 (कठिन). अगर लोक सभा एक धन विधेयक को पास कर देती है और राज्य सभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो क्या होगा?
उत्तर – 14 दिन बाद वह विधेयक दोनों सदनों से पास माना जाएगा, भले ही राज्य सभा सहमत न हो।

» कानून बनाने की प्रक्रिया

प्रश्न 25 (आसान). कानून बनने से पहले किसी प्रस्ताव को क्या कहते हैं?
उत्तर – विधेयक

प्रश्न 26 (आसान). अगर कोई मंत्री विधेयक पेश करे तो उसे कौन सा विधेयक कहते हैं?
उत्तर – सरकारी विधेयक

प्रश्न 27 (मध्यम). एक विधेयक को कानून बनने के लिए कितने सदनों से पास होना ज़रूरी है?
उत्तर – दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) से

प्रश्न 28 (कठिन). अगर दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए, तो उसे सुलझाने के लिए क्या किया जाता है?
उत्तर – संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।

» संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन

प्रश्न 29 (आसान). संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण क्यों रखती है?
उत्तर – सरकार को जवाबदेह बनाने और उसकी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए।

प्रश्न 30 (आसान). प्रश्नकाल और शून्यकाल किस साधन का हिस्सा हैं?
उत्तर – बहस और चर्चा।

प्रश्न 31 (मध्यम). संसद सरकार के वित्तीय खर्चों को कैसे नियंत्रित करती है?
उत्तर – बजट को स्वीकृति या अस्वीकृति देकर और कटौती प्रस्ताव लाकर।

प्रश्न 32 (कठिन). एक 'अविश्वास प्रस्ताव' का क्या महत्व है?
उत्तर – यह संसद का सबसे शक्तिशाली साधन है, जिसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, जिससे कार्यपालिका पर अंतिम नियंत्रण स्थापित होता है।

» संसदीय समितियाँ: भूमिका और महत्व

प्रश्न 33 (आसान). संसदीय समितियों का मुख्य काम क्या है?
उत्तर – संसद के कामकाज को आसान और प्रभावी बनाना, विधेयकों का गहन अध्ययन करना, और मंत्रालयों/विभागों की निगरानी करना।

प्रश्न 34 (आसान). क्या संसदीय समितियाँ सिर्फ कानून बनाने में मदद करती हैं?
उत्तर – नहीं, वे सरकारी ख़र्चों की जाँच और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण कामों में भी शामिल होती हैं।

प्रश्न 35 (मध्यम). स्थायी समितियाँ क्या होती हैं? भारत में ऐसी लगभग कितनी समितियाँ हैं?
उत्तर – स्थायी समितियाँ वे हैं जो साल भर काम करती रहती हैं और विभिन्न विभागों के कार्यों, बजट आदि की देखरेख करती हैं। भारत में लगभग 20 ऐसी स्थायी समितियाँ हैं।

प्रश्न 36 (कठिन). संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन क्यों किया जाता है?
उत्तर – संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा के लिए या वित्तीय अनियमितताओं (financial irregularities) की विशेष जाँच के लिए किया जाता है।

» संसद का आत्म-नियंत्रण और दलबदल विरोधी कानून

प्रश्न 37 (आसान). दलबदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया था?
उत्तर – 1985 में

प्रश्न 38 (आसान). संसद की कार्यवाही के मामले में सदन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
उत्तर – सदन का अध्यक्ष

प्रश्न 39 (मध्यम). एक सांसद ने अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। क्या उस पर दलबदल विरोधी कानून लागू होगा? क्यों?
उत्तर – हाँ, लागू होगा। क्योंकि 'स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे' भी दलबदल की परिभाषा में आता है, जिससे सदस्यता रद्द हो सकती है।

प्रश्न 40 (कठिन). दलबदल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी, 'पिछले 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि 'दलबदल निरोधक कानून' दलबदल को रोकने में सफल नहीं हुआ।' इस कथन का क्या अर्थ है और ऐसा क्यों कहा गया है?
उत्तर – इसका अर्थ है कि कानून पूरी तरह से दलबदल को रोक नहीं पाया है, बल्कि इसने पार्टी के 'प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की हैं।' कई बार सांसद या विधायक दलबदल करने के बजाय पूरी की पूरी पार्टी ही बदल लेते हैं या सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ते हैं, जिससे कानून की कुछ खामियों का फायदा उठा लिया जाता है। साथ ही, यह कानून सदस्यों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाता है।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इस कथन का क्या अर्थ है?

› पहला कदम है समझना कि विधायिका का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है, लेकिन ये 'केवल' (only) शब्द महत्वपूर्ण है।

› दूसरा, इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार करें, जैसे 'सरकार पर नियंत्रण' (control over government) रखना।

› तीसरा, 'जनता के प्रतिनिधियों' (public representatives) के रूप में यह जनता की आवाज को 'सरकार तक पहुंचाना' (conveying public voice to government) और 'जवाबदेही तय करना' (ensuring accountability) जैसे कार्य करती है।

› चौथा, यह 'वाद-विवाद और चर्चा' (debate and discussion) का मंच है जहाँ विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात होती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

उत्तर – इस कथन का अर्थ है कि विधायिका के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सिर्फ कानून बनाने से कहीं अधिक हैं। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार को जवाबदेह बनाती है, नीतियों पर बहस करती है, और सरकार पर नियंत्रण रखती है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है।

उदाहरण 2. भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं और उनके नाम क्या हैं?

› पहला कदम: हमें यह समझना है कि 'द्वि-सदनात्मक' का क्या मतलब है। 'द्वि' मतलब दो।

› दूसरा कदम: अब याद करो कि भारतीय संविधान ने हमारी संसद को दो सदनों में बांटा है, ताकि पूरे देश की विविधता को प्रतिनिधित्व मिल सके और कानूनों पर दो बार विचार हो सके।

› तीसरा कदम: उन दो सदनों के नामों को याद करें जो हमने अभी पढ़े।

उत्तर – भारतीय संसद में दो सदन होते हैं: 1. लोक सभा (Lok Sabha) और 2. राज्य सभा (Rajya Sabha)।

उदाहरण 3. राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और उनकी अवधि कितनी होती है?

› पहला कदम है समझना कि यह 'अप्रत्यक्ष चुनाव' है. इसका मतलब है कि जनता सीधे वोट नहीं डालती.

› दूसरा, 'विधायक इन सदस्यों को चुनते हैं'. यानी, राज्यों की विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य राज्य सभा सदस्यों के लिए वोट डालते हैं.

› तीसरा, 'प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में' होता है. मतलब, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं.

› चौथा, राज्य सभा एक 'स्थायी सदन' है. यह कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके सदस्यों की अवधि 6 साल की होती है.

› और आखिर में, 'हर दो साल में, एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत होते हैं' और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं.

उत्तर – राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और वे 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जिसमें हर 2 साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत होते हैं.

उदाहरण 4. प्रश्न: मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र 'रामपुर' में कुल 10 लाख वोटर हैं और 'श्यामपुर' में 8 लाख वोटर हैं. क्या यह 'लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र' के नियम का उल्लंघन करता है? और 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का क्या अर्थ है?

› पहला कदम: हमें देखना होगा कि 'रामपुर' और 'श्यामपुर' की जनसंख्या में कितना अंतर है. 10 लाख और 8 लाख में 2 लाख का अंतर है. यह 'लगभग समान' की परिभाषा पर निर्भर करता है, लेकिन 2 लाख का अंतर काफी बड़ा हो सकता है और शायद 'लगभग समान' न माना जाए. आदर्श रूप से, ये क्षेत्र जनसंख्या में और करीब होने चाहिए.

› दूसरा कदम: 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिक (भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के) को बिना किसी भेदभाव (जैसे धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति) के वोट डालने का अधिकार है. उनके हर वोट का मूल्य बराबर है. यानी, रामपुर का वोटर हो या श्यामपुर का, हर किसी का वोट उतना ही गिना जाएगा.

उत्तर – रामपुर और श्यामपुर के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में 2 लाख का अंतर है, जो 'लगभग समान जनसंख्या' के नियम का उल्लंघन कर सकता है. 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है और हर वोट का मूल्य बराबर होता है.

उदाहरण 5. संसद के विधायी और वित्तीय कार्यों को स्पष्ट करें।

› पहला कार्य है 'विधायी कामकाज' (Legislative Functions)। देखो बच्चों, संसद का सबसे पहला और मुख्य काम है 'कानून बनाना' – to make laws for the entire country or any part of it। लेकिन, एक बात ध्यान रखना, असली में 'विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम' (actual work of preparing bills) तो नौकरशाही (bureaucracy) करती है, मंत्रियों के निर्देशन में। संसद का काम ज़्यादातर 'कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र' (merely approving the laws) का होता है। जैसे, अगर कोई नया शिक्षा कानून बनाना है, तो पहले उसका ड्राफ्ट बनेगा, मंत्री उसे देखेंगे, फिर संसद में पेश होगा और दोनों सदन उसे पास करेंगे।

› दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है 'वित्तीय कार्य' (Financial Functions)। सरकार को देश चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो 'लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है' (in a democracy, Parliament controls taxation and the use of money by the government)। इसका मतलब है कि अगर सरकार 'कोई नया कर प्रस्ताव लाए' (proposes a new tax), तो 'उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है' (it has to get Parliament's approval)। संसद ही 'सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार' (authority to provide funds for government activities) देती है। 'संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज्यादा खर्च करे' (Parliament also ensures that the government neither misuses nor overspends money)। यह सब 'बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य' (Budget and Annual Financial Statement) के माध्यम से होता है।

› तो, विधायी कार्य में कानून बनाना और वित्तीय कार्य में पैसे पर नियंत्रण रखना संसद के दो बड़े और जरूरी काम हैं।

उत्तर – संसद का विधायी कार्य देश के लिए कानून बनाना है, जहाँ वह विधेयकों को स्वीकृति देती है। वित्तीय कार्य के तहत, संसद सरकार के कराधान और धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है, बजट को मंजूरी देती है और यह सुनिश्चित करती है कि धन का सही और जिम्मेदारी से उपयोग हो।

उदाहरण 6. मान लीजिए सरकार को किसानों के लिए एक नई योजना लानी है, जिसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है। यह 'धन विधेयक' (Money Bill) माना जाएगा। अब बताओ, यह विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाएगा और राज्य सभा की क्या भूमिका होगी?

› पहला कदम: पहचानना कि यह एक 'धन विधेयक' (Money Bill) है, क्योंकि इसमें 'वित्तीय मामलों' (financial matters) और 'बजट' (budget) की बात है।

› दूसरा कदम: यह याद रखना कि 'धन विधेयक' (Money Bill) हमेशा सबसे पहले 'लोक सभा' (Lok Sabha) में ही पेश किया जाता है।

› तीसरा कदम: 'राज्य सभा' (Rajya Sabha) की भूमिका समझना – वह 'धन विधेयक' (Money Bill) पर सिर्फ 14 दिनों तक विचार कर सकती है या 'सिफारिशें' (recommendations) दे सकती है। लोक सभा उन सिफ़ारिशों को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है, और 14 दिन बाद विधेयक अपने आप दोनों सदनों से पास माना जाता है, भले ही राज्य सभा सहमत न हो।

उत्तर – यह विधेयक सबसे पहले 'लोक सभा' में पेश किया जाएगा। 'राज्य सभा' इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और अपनी सिफारिशें दे सकती है, लेकिन लोक सभा उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

उदाहरण 7. मान लीजिए सरकार को 'शिक्षा का अधिकार कानून' में कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?

› पहला कदम: 'शिक्षा मंत्रालय' यह तय करेगा कि बदलाव क्यों ज़रूरी है और उसका 'प्रारूप' यानी 'विधेयक' तैयार करेगा। यह एक 'सरकारी विधेयक' होगा, क्योंकि इसे एक मंत्री ला रहा है।

› दूसरा कदम: यह विधेयक 'संसद के किसी भी सदन' (लोक सभा या राज्य सभा) में प्रस्तुत किया जाएगा। आम तौर पर, जिस मंत्रालय का विषय होता है, वही मंत्री इसे पेश करता है।

› तीसरा कदम: विधेयक पर 'चर्चा' और 'विचार-विमर्श' होगा। यह अधिकतर 'संसदीय समितियों' में होता है, जिन्हें 'लघु विधायिका' भी कहते हैं, क्योंकि यहीं बारीकियाँ तय होती हैं। समिति की सिफारिशें सदन को भेजी जाती हैं।

› चौथा कदम: सदन में 'विधेयक पर मतदान' होगा। अगर एक सदन (जैसे लोक सभा) इसे पास कर देता है, तो इसे 'दूसरे सदन' (राज्य सभा) में भेजा जाता है।

› पांचवां कदम: दूसरे सदन में भी 'इसी प्रक्रिया से गुजरता है' - यानी वहाँ भी चर्चा, समिति में विचार और मतदान होता है।

› छठा कदम: अगर दोनों सदनों द्वारा 'विधेयक पारित कर दिया जाता है', तो उसे 'राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है'।

› सातवां कदम: 'राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद' ही वह 'विधेयक कानून बन जाता है' और फिर इसे लागू किया जाता है।

उत्तर – इस प्रक्रिया के बाद ही 'शिक्षा का अधिकार कानून' में प्रस्तावित बदलाव, कानून का रूप लेकर पूरे देश में लागू हो पाएगा।

उदाहरण 8. संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है? किन्हीं तीन प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए।

› पहला साधन है 'बहस और चर्चा'। संसद में 'प्रश्नकाल' और 'शून्यकाल' जैसे तरीके होते हैं जहाँ सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। जैसे 'प्रश्नकाल' में, सांसद मंत्रियों से उनके विभागों से जुड़े सवाल पूछते हैं, और मंत्रियों को उनका 'जवाब' देना पड़ता है। यह सरकार को 'जवाबदेह' बनाता है, यानी उत्तरदायी बनाता है।

› दूसरा साधन है 'कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति'। कोई भी कानून बनने से पहले संसद से 'पास' होना ज़रूरी है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून लाना चाहे जो जनता के हित में न हो, तो संसद उसे 'अस्वीकृत' कर सकती है। याद है ना हमने अभी पढ़ा था 'कानून बनाने की प्रक्रिया'? अगर संसद ही कानून पास न करे, तो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी?

› तीसरा महत्वपूर्ण साधन है 'वित्तीय नियंत्रण'। सरकार को पैसे खर्च करने के लिए संसद से 'अनुमति' लेनी पड़ती है, खासकर 'बजट' पास कराना होता है। अगर संसद को लगता है कि सरकार गलत तरीके से पैसे खर्च कर रही है, तो वह 'कटौती प्रस्ताव' ला सकती है या बजट को 'अस्वीकृत' भी कर सकती है।

› और हाँ, सबसे ताकतवर साधन है 'अविश्वास प्रस्ताव'। अगर सरकार संसद का 'विश्वास' खो दे, यानी ज्यादातर सदस्य उसके समर्थन में न हों, तो विपक्ष 'अविश्वास प्रस्ताव' ला सकता है। अगर यह प्रस्ताव 'पास' हो जाता है, तो सरकार को 'इस्तीफा' देना पड़ता है! है ना कमाल की बात?

उत्तर – संसद, कार्यपालिका पर बहस और चर्चा (प्रश्नकाल, शून्यकाल), कानूनों की स्वीकृति/अस्वीकृति, और वित्तीय नियंत्रण (बजट) जैसे साधनों से नियंत्रण रखती है। सबसे प्रभावी अविश्वास प्रस्ताव है, जो सरकार को सत्ता से हटा सकता है।

उदाहरण 9. मान लीजिए कि भारत सरकार एक नया 'शिक्षा नीति विधेयक' (Education Policy Bill) लाना चाहती है। 'संसदीय समितियाँ' इस प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाएंगी?

› पहला कदम: जैसे ही 'शिक्षा नीति विधेयक' संसद में पेश होता है, संसद उसे सीधे पास करने की बजाय, 'शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति' (Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports) को भेज देगी।

› दूसरा कदम: यह समिति विधेयक के हर पहलू पर गहराई से विचार करेगी। इसमें शिक्षाविदों, बच्चों के माता-पिता, शिक्षकों और अन्य विशेषज्ञों से उनकी राय ली जाएगी। 'इसवेफ लिए उस पर श्यादा ध्यान और समय देने की ज़रुरत पड़ती है।' यानी, समिति इस पर बहुत समय लगाकर गहन अध्ययन करेगी।

› तीसरा कदम: समिति विधेयक में संभावित समस्याओं और सुधारों की पहचान करेगी। वह अपनी सिफ़ारिशें और संशोधनों (amendments) के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।

› चौथा कदम: यह रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी। संसद आमतौर पर समितियों की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लेती है या उन पर विचार करके अंतिम निर्णय लेती है। इस तरह, 'समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है।'

› पांचवां कदम: समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर ही संसद 'शिक्षा नीति विधेयक' पर अंतिम मतदान (voting) करती है और उसे कानून बनाती है।

उत्तर – संसदीय समितियाँ 'शिक्षा नीति विधेयक' का गहन अध्ययन करती हैं, विशेषज्ञों से राय लेती हैं, सुधार सुझाती हैं, और इस तरह कानून को ज़्यादा प्रभावी और जन-हितैषी बनाने में मदद करती हैं, साथ ही संसद का काम भी हल्का करती हैं।

उदाहरण 10. मान लीजिए एक सांसद 'राहुल' किसी पार्टी 'X' के टिकट पर चुनाव जीता। सदन में एक महत्वपूर्ण बिल पर मतदान होना था, और पार्टी X ने अपने सभी सांसदों को बिल के पक्ष में वोट देने का निर्देश दिया। लेकिन राहुल ने इस निर्देश के खिलाफ जाकर बिल के विरोध में वोट डाल दिया। दलबदल विरोधी कानून के तहत क्या होगा?

› पहला कदम: यहाँ राहुल ने अपनी पार्टी X के 'निर्देश के विपरीत सदन में मतदान' किया है। यह दलबदल विरोधी कानून की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

› दूसरा कदम: पार्टी X अध्यक्ष को राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगी, जिसमें दलबदल का आरोप होगा।

› तीसरा कदम: 'सदन का अध्यक्ष दलबदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है।' अध्यक्ष इस मामले की जांच करेंगे और राहुल को अपना पक्ष रखने का मौका देंगे।

› चौथा कदम: 'यदि यह सिद्ध हो जाय कि किसी सदस्य ने 'दलबदल' किया है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है।' इस स्थिति में, अध्यक्ष राहुल की लोकसभा/राज्यसभा सदस्यता रद्द कर देंगे।

› पाँचवाँ कदम: 'इसके अतिरिक्त, ऐसे दलबदलू को किसी भी राजनीतिक पद (जैसे मंत्री) के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।' राहुल अब किसी भी मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

उत्तर – सांसद राहुल की सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और वे किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे।

बोर्ड परीक्षा के लिए ख़ास

• यह अवधारणा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर सीधा प्रश्न आता है कि 'लोकतंत्र में विधायिका का क्या महत्व है' या 'विधायिका के कार्यों का वर्णन करें'। इसे अच्छे से समझना और इसके मुख्य बिंदुओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है।

• राज्य सभा की संरचना और स्थायी प्रकृति पर अक्सर सीधे प्रश्न आते हैं, खासकर सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया और कार्यकाल पर ध्यान दें.

• लोक सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और इसके विघटन (भंग होने) की शर्तों पर अक्सर बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान से याद रखना.

• इस टॉपिक से संसद के 'विभिन्न कार्यों' (various functions) को विस्तार से लिखने वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हर कार्य को उदाहरण सहित स्पष्ट करना ज़रूरी है।

• यह अवधारणा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 'धन विधेयक' और 'मंत्रिपरिषद की जवाबदेही' से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन अंतरों को बहुत ध्यान से समझना और याद रखना।

• यह प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 'विधेयक के प्रकार' और 'प्रत्येक चरण' को विस्तार से समझकर लिखना सीखो।

• यह विषय बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 'नियंत्रण के साधनों' के नाम और उनका संक्षिप्त विवरण ज़रूर याद रखना, खासकर प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव।

• यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर 'स्थायी समिति' और 'संयुक्त संसदीय समिति' में अंतर पूछा जाता है। इनकी भूमिका और महत्व को ज़रूर याद रखना।

एक नज़र में रिवीज़न

› विधायिका: कानून निर्माण, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, सरकार पर नियंत्रण का केंद्र।

› राज्य सभा: राज्यों का प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष चुनाव, स्थायी सदन, 6 साल कार्यकाल.

› लोक सभा: प्रत्यक्ष चुनाव, 543 सदस्य, 5 वर्ष कार्यकाल (भंग हो सकती है).

› संसद: विधायी, कार्यपालिका नियंत्रण, वित्तीय, प्रतिनिधित्व, बहस, संवैधानिक, न्यायिक कार्य।

› धन विधेयक लोक सभा में, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति जवाबदेह।

› विधेयक => दोनों सदन => राष्ट्रपति की स्वीकृति => कानून बनता है।

› संसद, बहस/चर्चा, कानून स्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

› संसदीय समितियाँ: कानून निर्माण में गहन अध्ययन, सरकारी कार्यों की निगरानी, संसद का कार्यभार कम।